

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

जमशेदपुर - 831001

बिल्डिंग परमिट संख्या 28732

दिनांक 06/10/2016

- हो ० सं०-शून्य, साउदर्न टाउन एरिया, जमशेदपुर पर श्रीमती अन्पूर्णा चटर्जी, श्री श्यामा प्रसाद चटर्जी, श्री रामप्रसाद चटर्जी, श्री सुरेन्द्र कुमार चटर्जी, श्री रविन्द्रनाथ चटर्जी, सुश्री अनीता चटर्जी, द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में प्रथम तल का ऑकोपेन्सी परिवर्तन आवासीय से व्यावसायिक एवं द्वितीय तल व्यावसायिक तथा तृतीय एवं चतुर्थ तल आवासीय भवन निर्माण, जिसकी कुल ऊँचाई 15.75 मी० जिसके व्यावसायिक-शॉलम १ अदद, ऑफिस ४ अदद तथा आवासीय-इकाई ८ अदद के आवासीय सह व्यावसायिक भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-
1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 2. यह भवन परमिट पूर्व के भवन परमिट सं०-20812, दिनांक 23.10.11 का अवक्रमण होगा।
 3. एवं स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मॉजिल की संख्या एवं निर्माण क्षेत्र (Bulitup Area) में बदली नहीं होगी।
 4. रास्कार द्वारा आश्रय शुल्क निर्धारित होने के उपरान्त शपथ पत्र अनुरूप वांछित राशि को अक्षेस कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
 5. भवन प्लान में सेट बैक एवं ड्राइव वे के लिये दिखायी गयी खूली जगह एवं अन्य खूली जगह में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
 6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग / भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं सरचना निर्माण कार्य सरचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापितारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
 7. निर्माणकर्ता / अनुज्ञापितारी अभियंता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना विशेषकर कर प्लीन्थ/भूमि तल निर्माण हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं दस दिनों के अन्दर इसकी जाँच कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
 8. निर्माणकर्ता को विधुत आपूर्ति की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रान्सफरमर की व्यवस्था करनी होगी। विधुत आपूर्ति की वैकल्पिक रूप से पर्याप्त क्षमता बाला ध्वनी वा प्रदृशण रहित जनरेटर लगाना होगा।
 9. जल उपलब्धता के लिये डीप बोरिंग नहीं करना होगा। जल निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी। आवश्यक क्षमता का सेप्टिक टैंक व सोक पीट का निर्माण करना होगा।
 10. अग्रिं सुरक्षा के लिए प्रमंडलीय अग्रिंशमन पदाधिकारी, झारखण्ड रॉय्सी के पत्रांक 279, दिनांक 31.10.09 द्वारा दिये गये सुझाव, भंतव्यों एवं भवन प्लान में अंकित सुरक्षा उपायों का शत प्रतिशत प्रावधान करना होगा।
 11. Rain water Harvesting के साथ Ground water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
 12. भवन निर्माण में 50% फ्लाई ऐश ब्रीक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
 13. चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पैवर्मेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से करनी होगी।
 14. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड (सूचना पट्ट) लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम एवं पता, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकवा स्वीकृत भवन प्लान का परमिट संख्या कुल स्वीकृत तल एवं स्वीकृत प्लैट्स आदि का विदरण देना होगा।
 15. स्वीकृत भवन प्लान की वैधता तीन वर्ष तक रहेगी तथा जमीन के आवासीय उपयोग रकवा सक्षम पदाधिकारी से संशोधित कराना होगा। इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate प्राप्त किये बिना Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
 16. अक्षेस के प्लानिंग स्टेनडर्ड एवं बिल्डिंग बाइलज 2007 में वर्णित अन्य प्रभावी कंडिकाओं का पालन करना होगा। भवन निर्माण के दौरान जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
 17. झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2011 में वर्णित संबंधित कंडिकाओं का पूर्णतः पालन करना होगा।
 18. भवन प्लान की स्वीकृति से प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि/किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।

कनीय अभियंता,

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

सहायक अभियंता,

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

विशेष पदाधिकारी

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

6.10.16